आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :प.8 (विविध)/एनएसएस/अकाद/19/1212

दिनांक : 1 अक्टूबर, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) तेजी से फैल रहा है जिसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार महाविद्यालयों में संचालित एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्वयंसेवको के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें –

1. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अध्ययनरत छात्रो एवं एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर से सम्बद्ध सभी अधिकारियों, स्वयंसेवकों को **शपथ** दिलायी जावे कि वे बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
2. नो मास्क नो एन्ट्री पहल की पालना सुनिश्चित करें।
3. सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना सुनिश्चित करें।
4. कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करें।
5. कोरोना से बचाव के लिए बार–बार हाथ धोना।

साथ ही जिला कलेक्टर के निर्देशन में कोविड–19 से संबंधित प्लेकार्ड्स/पेंटिंग्स/ड्राइंग्स तैयार करवायी जाकर उनका प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर किया जायेगा, जिससे आम नागरिक को कोविड–19 से जुड़े खतरों को पहचानें व उससे बचने के उपायों के प्रति सजग रहें। इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राएं घनी आबादी वाले क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, गोद लिये हुये गांवों, सार्वजनिक स्थानों यथा बाजार, बस स्टैण्ड, बैंक, रेलवे स्टेशन इत्यादि में मास्क पहनने के फायदे बतायेंगे तथा निःशुल्क मास्क वितरण भी करेंगे। साथ ही सी.एस.आर. से **"नो मास्क नो एन्ट्री"** के स्टीकर्स प्राप्त कर उन्हें सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक यातायात के साधनों जैसे बसे, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो आदि पर चिपकायेंगे। कोविड से लड़ाई अस्पताल से बाहर प्रत्येक गांव, गली और सड़क पर भी अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी छात्र–छात्राओं व अधिकारियों को उनके सामाजिक दायित्व में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये तैयार करना प्रासंगिक है। सभी एन.सी.सी., एन.एस.एस. व स्काउट की इकाईयां एवं प्रभारी अधिकारी जिला कलेक्टर की कार्ययोजना के अनुसार सक्रिय भागीदारी निभायेंगे।

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम का आरम्भ समस्त जिलों में जिला कलेक्टर के निर्देशन में दिनांक 02 अक्टूबर 2020 से किया जायेगा।

(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
2. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
5. संबंधित जिला समन्वयक को पालनार्थ।
6. वेब प्रभारी, आकाशि, जयपुर अपलोड करने हेतु ।

1/10/2020

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

General Letter10/1/2020